

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
एफ 13 (1) निमअ / SHG / कलेवा योजना / 09-10 21593-625 जयपुर, दिनांक 25-5-10

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषय— कलेवा योजना में SHG को पारिश्रमिक के कम में।

संदर्भ — निदेशालय का पत्र क्रमांक 20299-331 दिनांक 06.05.10

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि कलेवा योजनांतर्गत प्रसूताओं को गरम भोजन आपूर्ति करने पर SHG को पारिश्रमिक के रूप में 10 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। फील्ड से कुछ कार्मिकों की जिज्ञासावश उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त 10 रु का मेहनताना एक प्रसूता को दो दिवस तक भोजन आपूर्ति करने पर किया जाएगा अर्थात् प्रति लाभान्वित/प्रतिदिन रु. 5 का भुगतान किया जाएगा तथा न्यूनतम 10 लाभार्थी को आधार मानते हुए प्रतिदिन 10 लाभार्थी x 5 रु = 50 रु. भुगतान किया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रसूताओं की संख्या के आधार पर ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

प्रातीलिपि - कम्प्यूटर प्रोग्रामर की विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु -

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

P.O.